



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल 30प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किराी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रविबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री श्री सुधा सिंह

पिता/पति का नाम श्री आनंद सिंह

मुहल्ला आ. नं. 414 जंगल कल्याण

वार्ड नम्बर

आ. नं. 74 जंगल कल्याण

में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के विरुद्ध मकान विनियम के अन्तर्गत निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।









22.7.18
सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संशुद्ध शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।
2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़िया, सीढ़ी, झाम नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग को मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और सौघ कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को स्तोष हो जाय, में कर देगा।
4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंफिधेन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

Received one copy with the

HOME CARE CENTER
 PROJECT NO. 22-252-252
 SHEET NO. 1-1
 DATE: MAY 10
 CHECKED BY: GAVANNAK
 DRAWN BY: M.A. S. H. P. I. T.
 SCALE: 1/8" = 1'-0"



AREA	DESCRIPTION	AREA	DESCRIPTION
1	1st FLOOR	2	2nd FLOOR
3	3rd FLOOR	4	4th FLOOR
5	5th FLOOR	6	6th FLOOR
7	7th FLOOR	8	8th FLOOR
9	9th FLOOR	10	10th FLOOR
11	11th FLOOR	12	12th FLOOR
13	13th FLOOR	14	14th FLOOR
15	15th FLOOR	16	16th FLOOR
17	17th FLOOR	18	18th FLOOR
19	19th FLOOR	20	20th FLOOR
21	21st FLOOR	22	22nd FLOOR
23	23rd FLOOR	24	24th FLOOR
25	25th FLOOR	26	26th FLOOR
27	27th FLOOR	28	28th FLOOR
29	29th FLOOR	30	30th FLOOR
31	31st FLOOR	32	32nd FLOOR
33	33rd FLOOR	34	34th FLOOR
35	35th FLOOR	36	36th FLOOR
37	37th FLOOR	38	38th FLOOR
39	39th FLOOR	40	40th FLOOR
41	41st FLOOR	42	42nd FLOOR
43	43rd FLOOR	44	44th FLOOR
45	45th FLOOR	46	46th FLOOR
47	47th FLOOR	48	48th FLOOR
49	49th FLOOR	50	50th FLOOR
51	51st FLOOR	52	52nd FLOOR
53	53rd FLOOR	54	54th FLOOR
55	55th FLOOR	56	56th FLOOR
57	57th FLOOR	58	58th FLOOR
59	59th FLOOR	60	60th FLOOR
61	61st FLOOR	62	62nd FLOOR
63	63rd FLOOR	64	64th FLOOR
65	65th FLOOR	66	66th FLOOR
67	67th FLOOR	68	68th FLOOR
69	69th FLOOR	70	70th FLOOR
71	71st FLOOR	72	72nd FLOOR
73	73rd FLOOR	74	74th FLOOR
75	75th FLOOR	76	76th FLOOR
77	77th FLOOR	78	78th FLOOR
79	79th FLOOR	80	80th FLOOR
81	81st FLOOR	82	82nd FLOOR
83	83rd FLOOR	84	84th FLOOR
85	85th FLOOR	86	86th FLOOR
87	87th FLOOR	88	88th FLOOR
89	89th FLOOR	90	90th FLOOR
91	91st FLOOR	92	92nd FLOOR
93	93rd FLOOR	94	94th FLOOR
95	95th FLOOR	96	96th FLOOR
97	97th FLOOR	98	98th FLOOR
99	99th FLOOR	100	100th FLOOR

